न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोरठी देवी बनाम बनवारीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा क्र.नं. - 129/2023
24.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
129 / 2023	2023 / 1130	06.09.2023	24.06.2025

उनवान प्रकरण

1. सोहनी देवी पत्नी मदनसिंह आयु वर्ष
2. सतीश पुत्र मदनसिंह आयु वर्ष
3. विकास पुत्र मदनसिंह आयु वर्ष
4. सपना पुत्री मदनसिंह आयु वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 7 नया कुंआ ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

5. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल आयु वर्ष
6. महावीर पुत्र प्रभातीलाल आयु वर्ष
7. विजयपाल पुत्र प्रभातीलाल आयु वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 13 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——वादीगण—

बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1 बनवारीलाल पुत्र पेमाराम आयु वर्ष

2 शंकरलाल पुत्र पेमाराम आयु वर्ष

3 मालीराम पुत्र पेमाराम आयु वर्ष

4 श्रवण कुमार पुत्र गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

5 रघुवीरसिंह पुत्र गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

6 झाबरसिंह पुत्र गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

7 लादी देवी पत्नी गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

8. उषा देवी पत्नी कैलाश पुत्र गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

9 मोनिका पुत्री कैलाश पुत्र गणेशराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

10. हरिसिंह पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

11. बोदू पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

12. सीताराम पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

13. बरजी देवी पुत्री अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

14. गुलाबी देवी पुत्री अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

15. शारदा देवी पुत्री अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

16. धर्मपाल पुत्र गिरधारी पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

17. महिपाल पुत्र गिरधारी पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

18. गीता देवी पत्नी गिरधारी पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम आयु वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 13 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

19. रजनी पुत्री गिरधारी पुत्र अर्जुनराम पुत्र भूराराम (पत्नी आनन्द धायल) हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सागुवाल एवाणी देवाली तन कोटडी धायलान तहसील खण्डेला जिला सीकर

20. पताशी देवी पुत्री भागीरथ आयु वर्ष

21. संतरा देवी पुत्री भागीरथ आयु वर्ष

22. रामेश्वरी देवी पुत्री भागीरथ आयु वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 13 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

23. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से।

वादपत्र बाबत् घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 889 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 908/1 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] नम्बर 890 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.[illegible] रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 910/2686 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.05 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 922 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.94 हैक्टर भूमि है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार से होकर उक्त वर्णित भूमिया व इनके अलावा अन्य भूमि खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926 जिनकी 90(बी) होकर नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम खातेदारी अंकित है। उक्त सम्पूर्ण भूमिया शुरू में एक ही खाते व एक ही कुंआ की भूमिया रही है, जिनका मौके पर बंटवारा कर काफी अर्सा पूर्व ही अलग–अलग अपने अपने हक हिस्से एंव अधिकार में आयी भूमियो पर काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे हैं जिनमें से वाद के पक्षकारान द्वारा 90 (बी) होकर भूमि खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926 को विक्रय कर व अपने आवासीय उपयोग–उपभोग में लेने के कारण 90(बी) हो चुकी है तथा शेष रही वर्णित भूमिया जो पूर्वकाल से मौके पर बाहमी बंटवारा कर वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से एंव अधिकार में निम्न प्रकार से भूमिया आयी है। जिसकी खातेदारी उक्तानुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

(ए) वादीगण नम्बर 1 ता 4 की भूमिया :–

खसरा नं.	रकबा	दिशा / हिस्सा
909	0.59 हैक्टर	में से 0.5475 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार

(बी) वादीगण नम्बर 5 ता 7 व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की भूमिया :–

खसरा नं.	रकबा	दिशा / हिस्सा
889	0.80 हैक्टर	में से 0.2520 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार
921	0.05 हैक्टर सम्पूर्ण	
922	0.5200 हैक्टर सम्पूर्ण	
	0.8220 हैक्टर कुल रकबा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपरोक्त भूमियो मे वादीगण संख्या 5 ता 7 का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर मौके पर हक हिस्से एंव अधिकार में आया हुआ है जिसकी खातेदारी उक्तानुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

(सी) प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 9 की भूमिया :–

खसरा न.	रकबा	दिशा/हिस्सा
908/1	0.07 हैक्टर	सम्पूर्ण
894	0.13 हैक्टर	सम्पूर्ण
890	0.1600 हैक्टर में से 0.0525 भूमि संलग्न नजरी नक्शे अनुसार	

कुल रकबा **0.2525 हैक्टर भूमि**

उपरोक्त भूमियो में प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 का 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर एंव प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर मौके पर हक हिस्से एंव अधिकार में आया हुआ है जिसकी खातेदारी उक्तानुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

(डी) प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 19 की भूमिया :–

खसरा नं.	रकबा	दिशा/हिस्सा
910	0.04 हैक्टर	सम्पूर्ण
910/2686	0.04 हैक्टर	सम्पूर्ण
890	0.16 हैक्टर में से 0.1075 दक्षिण तरफ की	
909	0.5900 हैक्टर में से दक्षिण पश्चिम तरफ की 0.0425	

कुल रकबा **0.2300 हैक्टर भूमि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपरोक्त भूमियो में प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 15 का 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर एव प्रतिवादी नम्बर 16 ता 19 का 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर मौके पर हक हिस्से एव अधिकार मे आया हुआ है जिसकी खातेदारी उक्तानुसार दर्ज किये जाने तथा उक्त बाहमी बंटवारा के अनुसार पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड कायम कर दिया जाना तथा अलग-अलग नक्शा में तरमीम किया जाना तथा अलग-अलग लगान कायम किया जाना न्यायोचित है तथा वादी उपरोक्त बाहमी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमियो का विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है।

नोट :- उपरोक्त भूमियो में शेष रकबा भूमि खसरा नम्बर 889 रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.5480 हैक्टर दक्षिण तरफ की संलग्न नजरी नक्शे अनुसार व भूमि खसरा नम्बर 922 रकबा 0.52 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर भूमि संलग्न नजरी नक्शे अनुसार व भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.05 हैक्टर व 90(बी) की भूमि खसरा नम्बर 923 से 926 की उक्त भूमिया को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से आवासीय भूमियो के रूप में आपसी बंटवारे के अनुसार मौके पर काम में लेते चले आ रहे है। इसलिये यथावत दर्ज राजस्व रिकार्ड रखी गयी है। इसलिये उक्त भूमि की खातेदारी यथावत दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार यथावत रखी जाना न्यायोचित है।

वादीगण ने भूमि अपने हिस्से व अधिकार में बाह्मी बंटवारे के अनुसार आयी हुयी है जो संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित हैं। वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमिया में अलग से सींव कायम कर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है। मौके पर अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमिया को वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्वरूप मे कई लाखो रूपये खर्च कर उन्नत एंव उपजाऊ व विकसित किया है व वर्तमान स्वरूप में भूमियो को विकसित कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एंव खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है. ना ही बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण की भूमियो को खुर्द–बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा ना ही नीव सीव को तोड़कर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड मे प्राप्त है। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शे बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि की बंटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियो का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण के बाह्मी बंटवारे व संलग्न नजरी नक्शे से दर्शित भूमिया है उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एंव आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण वादीगण की भूमियो पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादीगण को आये दिन हैरान परेशान करते है तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आड में वादी के बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी भूमियो को दीगर भूमाफियावृति के लोगो को बैचान करेगें तथा बाह्मी [illegible] वादीगण के हक हिस्से व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अधिकार की सलग्न नजरी नक्शा में दर्शित भूमियो की नींवसींव नष्ट करेगें तथा बाहमी बटवारा भंग कर वादीगण को काश्त नही करने देगें एंव उपयोग–उपभोग में मजाहमत की धमकी देना चालू कर दिया है जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।दिनांक 05.05.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियो में वादीगण के बाह्मी बंटवारे अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार की दर्शित संलग्न नजरी नक्शा में इन्कार हो जाने पर वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक आया है।प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि दीगर लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 स्वंय उपस्थित आये एंव अधिवक्ता नियुक्ति बाबत अवसर चाहा गया। अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को पॉच अवसर दिये जाने के बाजजूद वकालतनामा पेश नहीं करने एंव ना ही स्वंय हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष प्रतिवादीगण की तामील जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रजिस्टर्ड डाक के हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या–4 लगायत 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाए जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र के तकास्मा का होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर वादपत्र में दिनांक 05.02.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 714/रीडर/2024 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1418/भू.अ./2024 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीयॉ इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 889, 908/1, 909 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर व खसरा नम्बर 890, 894, 910, 910/2686, 921, 922 कुल किता 6 कुल रकबा 0.94 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926 की 90 (बी) कार्यवाही होकर खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वर्णित भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बंटवारा के अनुसार उनके हक हिस्से एंव अधिकार की भूमियॉ आना प्रकट होती है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 के उक्त भूमियों के पक्षकारान् के हक हिस्से में मिलने वाली भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण को घोषित किया जाकर इसमें दर्ज मृत्तक खातेदार [illegible] पुत्र भूराराम, गणेशराम पुत्र भूराराम, भागीरथ पुत्र गोविन्दराम का नाम [illegible] किया जाकर अलग–अलग राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 04.07.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] के अनुसार [illegible] के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. अर्जुनराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 2. गणेशराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 3. बनवारी लाल पुत्र पेमाराम जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 4. भागीरथ पुत्र गोविन्दा जाति जाट हिस्सा 3/8 सा. देह खातेदार 5. म्हावीरप्रसाद पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 6. मालीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 7. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 8. विजयपाल पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 9. शंकरलाल पुत्र पेमाराम जाति	890	0.1600	चाही ए	5.47
		894	0.1300	चाही ए	4.44
		910	0.0400	चाही ए	1.37
		910/2686	0.0400	चाही ए	1.37
		921	0.0500	चाही ए	1.66
		922	0.5200	चाही ए	17.23

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता – 6	0.9400	—	31.5400
काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1 अर्जुनराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 2. गणेशराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 3. बनवारी लाल पुत्र पेमाराम जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 4. महावीरप्रसाद पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 5. मालीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 6. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 7. विजयपाल पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार	889 908/1 909	0.8000 0.0700 0.5900	चाही ए चाही ए चाही ए	26.27 2.39 20.16

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

	8. विकास पुत्र मदनसिंह जाति जाट हिस्सा 3/32 सा.देह खातेदार 9. शंकरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 10. सतीश पुत्र मदनसिंह जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 11. सपना पुत्री मदनसिंह जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार 12. सोहनी देवी पत्नी मदनसिंह जाति जाट हिस्सा 3/32 सा. देह खातेदार				
	योग खाता	किता – 3	1.4600	—	48.8200

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	वादीगण संख्या 1 से 4 1. सोहनी देवी पत्नी मदन सिंह 2. सतीश पुत्र मदन सिंह 3. विकास पुत्र मदन सिंह 4. सपना पुत्री मदन सिंह	909/1	0.5475	चाही ए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता – 1	0.5475	चाही–ए	
वादीगण 5 से 7 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 1. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल 2. महावीर पुत्र प्रभातीलाल 3. विजयपाल पुत्र प्रभातीलाल समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा 1/4 4. बनवारी लाल पुत्र पेमाराम 5. शंकरलाल पुत्र पेमाराम 6. मालीराम पुत्र पेमाराम समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा 3/4 सा. देह खातेदार	889/1 921 922	0.2520 0.05 0.5200	चाही–ए चाही–ए चाही–1	
कुल योग	किता–3	0.8220		
प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 1. श्रवण कुमार पुत्र गणेशराम 2. रघुवीर सिंह पुत्र गणेशराम 3. झाबरसिंह पुत्र गणेशराम 4. लादी देवी पत्नि गणेशराम समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा 4/5 5. उषा देवी पत्नी कैलाश 6. मोनिका पुत्री कैलाश समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा 1/5	908/1 894 890/1	0.07 0.1300 0.0525	चाही ए चाही ए चाही ए	
योग खाता	किता – 3	0.2525	चाही ए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

प्रतिवादीगण संख्या 10 से 19 1. हरिसिंह पुत्र अर्जुनराम 2. बोदू पुत्र अर्जुनराम 3. सीताराम पुत्र अर्जुनराम 4. बरजी देवी पुत्री अर्जुनराम 5. गुलाब देवी पुत्री अर्जुनराम 6. शारदा देवी पुत्री अर्जुनराम समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा बराबर 6/7 7. धर्मपाल पुत्र गिरधारी 8. महिपाल पुत्र गिरधारी 9. गीता देवी पत्नि गिरधारी 10. रजनी पुत्री गिरधारी समस्त जाति जाट हिस्सा बहिस्सा बराबर 1/7 सा. देह खातेदार	910 910/2686 890/2 909/2	0.0400 0.0400 0.1075 0.0425	चाही– ए चाही– ए चाही –ए चाही –ए	
कुल योग	किता– 4	0.2300	चाही– ए	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोटः– उपरोक्त भूमियों में शेष रकबा भूमि खसरा नम्बर 889 रकबा 0.80 हैक्टर में से से रकबा 0.5480 हैक्टर दक्षिण की तरफ व 90 (बी) की भूमि खसरा नम्बर 923 से 926 की उक्त भूमियों को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से आवासीय भूमियों के रूप में आपसी बंटवारे के अनुसार मौके पर काम में लेते चले आ रहे है। इसलिए राजस्व रिकार्ड यथावत रखा गया है। भूमि खसरा नम्बर 889 रकबा 0.5480 हैक्टर पर ... वर्तमान में पचांयत समिति श्रीमाधोपुर का कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1418 / भू.अ. / 24 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested